

# अंतिम डिक्री व मुकदमे इन्तदाई

(ऑर्डर 20, पृष्ठ 67, नया नियम)

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अन्य अत्यायत सहायक कलक्टर एवं एन एडवोकेट अधिकारी (राजस्व) मुकदमा श्रीकरणपुर  
व इलाका की सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

हरजिन्द सिंह उर्फ राजिन्द सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जिरा, तहसीलदार  
श्रीकरणपुर


घारा अंतर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएफएट मुकदमा नं. 90/2021

निर्णय दिनांक :- 16.03.2022


यह मुकदमा आज घासी इन्फिर्मसाल कर्टई स्वयं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर व सचरी घासी अधिवक्ता की अशोक कुमार जोशी पेश होने पर आदेश दिया जाता है व  
डिक्री दी जाती है कि -

घासपत्र घासी अंतर्गत घारा 88 राजस्थान कायलकारी अधिनियम 1955,  
136-राजस्व व अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 47  
एक की जम्माबन्दी सम्मत 2075 ता 78 के खाता संख्या 76/71 के मुख्या नम्बर 42, 56,  
58 69/25, 69/27 की कुल 12.637 हेक्टेयर नहरी मय गैरसुर्माफिल खाता भूमि में क्रम  
संख्या 3 पर अंकित नाम राजिन्द सिंह पुत्र मंगल सिंह के स्थान पर राजिन्द सिंह उर्फ  
हरजिन्द सिंह पुत्र मंगल सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस खाता के शेष अंकल  
व रहन बंदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 16.03.2022 को यह पर्या डिक्री घेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की  
मुद्रा से जारी की गई।

  
[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]  
सहायक कलक्टर एवं एन एडवोकेट अधिकारी  
मुकदमा अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर


मुद्दाई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इवूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

  
[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]  
सहायक कलक्टर एवं एन एडवोकेट अधिकारी  
मुकदमा अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
दिनांक: 16.03.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/143

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार  
पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



  
[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]  
सहायक कलक्टर एवं एन एडवोकेट अधिकारी  
मुकदमा अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
श्रीकरणपुर